न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः– 91/2011
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2011/00225

1. श्रीमति उर्मिला देवी पत्नी श्री जयवीर प्रसाद जाति जैन निवासी रायसर हाल सार्दुलगंज बीकानेर
2. श्रीमति अमिता जैन पत्नी श्री आशिष जैन निवासी रायसर हाल सार्दुलगंज बीकानेर।
3. श्रीमति शांतिदेवी पत्नी श्री रामावतार जाति अग्रवाल निवासी रायसर हाल पुरानी गिन्नाणी बीकानेर।

वादीगण

–बनाम–

1. तोफिक अहमद पुत्र श्री मंगतु खां जाति मुसलमान निवासी रिडमलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. नवनीत औझा पुत्र श्री बाबुलाल औझा 'निवासी ईदगाह की बारी, नत्थुसर गेट, बीकानेर।
3. मालुसिंह पुत्र श्री धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर।

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी</u>

उपस्थिति अभिभाषकः–

1. **श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक, वादीगण के लिए।**
2. **श्री रोहित कुमार व्यास, अभिभाषक, प्रतिवादी सं. 6 व 7 के लिए।**

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 20/1/23

अनवानी प्रकरण वादीगण की ओर से दिनांक 16.06.2010 को अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए. पेश किया गया। दौराने परीक्षण दिनांक 06.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के संलग्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर वादी संख्या 3 की मृत्यु उपरान्त जायज वारिसान को समयावधि में कायम मुकाम की कार्यवाही ना किये जाने पर वाद जरिये अबेटमेंट खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसके उपरान्त दिनांक 28.06.2019 को वादीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनयम पेश किया। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जिनका निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

2. प्रार्थना पत्र 22 नियम 9 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया कि वादीनी

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

संख्या 3 शांति देवी पत्नी रामअवतार अग्रवाल निवासी पुरानी गिन्नाणी बीकानेर की मृत्यु दिनांक **19.08.2017** को हो चुकी है, जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व से थी। न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर में अपील शांति देवी/ राज्य में वादी सं. 3 की मृत्यु की सूचना के बाद (90+60) 150 दिवस के भीतर वारिसान रिकार्ड पर आना आवश्यक था लेकिन वादीगण ने कोई सूचना माननीय न्यायालय को नहीं दी है। अतः वाद अबेट हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाद को अबेट किया जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के हमराह न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के अपील सं. 76/2017 की फर्द अहकाम, अपील मीमो, प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी, जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मीमो की प्रमाणित प्रति फार्म नं. 3 के हमराह पेश की ।

3. प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि वादीया सं. 3 मृत्यु होना स्वीकार है, जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु अलग से आवेदन पेश किया गया है। अपील का इस प्रकरण में लेना–देना नहीं है। शांति देवी के वारिसान को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश कर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीया संख्या 3 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे।

4. बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्रों पर सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादीया सं. 3 शांति देवी पत्नी रामअवतार की मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को हो चुकी है, जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही वादीगण द्वारा समयावधि में नहीं किये जाने के कारण वाद वादीगण अबेट हो चुका है। इस प्रकरण के पक्षकारान के मध्य विचाराधीन सिविल मुकदमा में वादीगण द्वारा शांति देवी पत्नी रामअवतार की मृत्यु उपरान्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही समयावधि में की गयी, परन्तु उक्त प्रकरण में समान पक्षकारान होने के बावजूद कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर वाद--वादीगण जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाया जावे।

5. अभिभाषक अप्रर्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि शांति देवी पत्नी रामअवतार के वारिसान का रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पेश कर दिया गया है। पक्षकारान के मध्य दायर अपील का इस मुकदमा से कोई लेना–देना नहीं है। वादीनी सं. 3 के स्थान पर प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री रामअवतार जाति अग्रवाल को वसीयत के आधार पर पक्षकार बनाया जावे। इस मुकदमा की जानकारी वादीनी उर्मिला के पति दिनांक 21.05.2019 को दी, इससे पूर्व इस मुकदमा की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 22 नियम 3

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को मुकदमा में बतौर वादी पक्षकार संयोजित किया जावे तथा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीनी सं. 3 शांति देवी पत्नी रामअवतार का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2017 को हो चुका है, जिसके वारिस के तौर पर प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र स्व. रामअवतार द्वारा दिनांक 28.08.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दाखिल का मियाद में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मियाद मे छूट दिये जाने के संबंध में तथ्य अंकित किये कि इस मुकदमा की जानकारी प्रार्थी को वादी सं. 1 उर्मिला देवी के पति से प्राप्त हुई। उक्त तथा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर में दायर अपील सं. 76/2017 का इस मुकदमा में कोई लेना–देना नहीं है, उक्त बहस के आधार पर प्रार्थी द्वारा मियाद में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. उक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी सं. 3 शांति देवी पत्नी रामअवतार का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2017 को हो चुका है। जिसके बाबत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश कर वाद जरिये अबेटमेंट खारिज किये जाने का पेश किये जाने के उपरांत प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र रामअवतार द्वारा प्रार्थना आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर वादी सं. 3 के वारिस के तौर पर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया तथा वादी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी पेश किया गया। दोनों प्रार्थना–पत्र समानान्तर है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के हमराह शपथ–पत्र पेश नहीं तथा प्रार्थना–पत्र में वादी सं. 3 की मृत्यु दिनांक का भी अंकन नहीं किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा वादी सं. 3 को वारिस जरिये वसीयत होने का तथ्य अंकित किया गया है, परन्तु प्रार्थना पत्र के हमराह मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वसीयत पेश नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त मियाद में छूट हेतु प्रथम सूचना/वाद की जानकारी का आधार वादी सं. 1 के पति द्वारा होना बताया गया है। वादी सं. 1 वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिस पर वाद के पोषण का पूर्ण दायित्व है, जिसके द्वारा भी वाद में कायम मुकाम की कार्यवाही का कोई प्रार्थना–पत्र/सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर में दायर अपील सं. 76/2017 की प्रमाणित प्रति बतौर साक्ष्य सबूत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी, का अध्ययन किया। उक्त अपील में दिनांक 12.10.2017 को कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र रामअवतार द्वारा प्रस्तुत किया गया, उक्त अपील में अपीलांट एवं उक्त वाद में वादीगण समान पक्षकार है। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के हमराह मृत्यु प्रमाण–पत्र शांति देवी पत्नी रामअवतार पेश किया गया। वादीगण पर वाद के पोषण का भार होने के उपरान्त कायम मुकाम की कार्यवाही में लापरवाही को दर्शाता है। प्रार्थी सुशील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा मृतका स्व0 शांति देवी पत्नी रामअवतार की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं की गयी, प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र,

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

मृत्यु प्रमाण–पत्र व वसीयत पेश नहीं तथा आदेश 22 नियम 9 (2) सीपीसी के अंतर्गत वाद चालू रखने का पर्याप्त हेतुक प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सुशील कुमार आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम आधारहीन एवं सारहीन होने से काबिले खारिज एवं प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी काबिले स्वीकार प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुशील कुमार अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी आदेश 22 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी जरिये अबेटमेंट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 20/1/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(शहर), बीकानेर

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर